पत्रांक 1125 /33-विविध/आगणन/2024-25 कार्यालय मुख्य विकास अधिकारी, पिथौरागढ़। दिनांक 02 मार्च 25

खण्ड विकास अधिकारी,
कनालीछीना।

1. माननीय विधायक विधान सभा क्षेत्र डीडीहाट की विधायक निधि वर्ष 2024-25 में निम्न योजनायें प्रस्तावित की गयी है। जिसकी कार्यदायी संस्था आपको नामित किया गया है। इस क्रम में अवगत कराना है कि निम्न योजना के आगणन/कोटेशन/टेण्डर प्रक्रिया/मूल्यांकन शीट इस कार्यालय को एक सप्ताह के भीतर उपलब्ध करायें ताकि प्रशासनिक स्वीकृति के उपरान्त आपको तकनीकी की धनराशि अवमुक्त की जा सके। इस संबंध में शासन द्वारा विकास उत्तराखण्ड के पत्रांक 837/XI/07/01(01)2007 दिनांक 23/07/2007 में प्राप्त निर्देशों का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

2. सम्बन्धित कार्यदायी संस्था पूर्ण रूप से सुनिश्चित करेगी कि न्यूनतम मूल्य व गुणवत्तापूर्ण विशिष्टताओं की सामग्री ही उपलब्ध कराई जाय। नियमावली 2017 के अनुसार क्रय की जायगी। सामग्री क्रय करने से पूर्व सामग्री की गुणवत्ता व गुणवत्ता का बाजार दर करते हुए पूर्ण क्रय के अनुमोदन कोटेशन/मूल्यांकन शीट इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। यदि सामग्री क्रय उपरान्त वापस होगा होती है तो इस कार्यालय को उपलब्ध करायें ताकि तदनुसार मा0 विधायक को अवगत कराया जा सके।

3. निर्माण कार्यों में समय-समय पर अवर अभियन्ता तथा सहा0 अभि0 द्वारा तकनीकी पर्यवेक्षण किया जाय।

4. आपको यह भी अवगत कराना है कि वर्ष 2017-18 के उपरान्त विधायक निधि के अन्तर्गत समस्त कार्यों की Geotagging कराई जाने अनिवार्य तथा प्रत्येक वित्तीय वर्ष में स्वीकृति कार्य उसी वर्ष में पूर्ण कराये जाने आवश्यक है। वित्तीय वर्ष में कार्य पूर्ण न होने पर अथवा धनराशि व्यय न होने की कार्यदायी संस्था की जिम्मेदारी होगी।

5. अशासकीय विद्यालयों में विद्यालयी मान्यता प्राप्त प्रमाण पत्र की प्रति भी आगणन के साथ प्रस्तुत करें।

6. कार्यदायी संस्था यह भी सुनिश्चित कर ले कि उक्त कार्य हेतु किसी अन्य मद से धनराशि स्वीकृत नहीं है।

7. अ0जा0/ज0जा0 हेतु स्वीकृत कार्य अ0जा0/ज0जा0 बस्ती में ही कराये जाय तथा अ0जा0/ज0जा0 बस्ती नियमन का प्रमाण पत्र भी आगणन के साथ प्रस्तुत किया गया।

8. योजना में विवाद/कार्य विलम्ब होने की स्थिति में तत्काल अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराना होगा।

9. योजना प्रारम्भ करने से पूर्व का फोटोग्राफ या सम्बन्धित कर्मचारी की उपस्थिति में लिया गया है, आगणन के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

10. योजना के अन्तर्गत कोई भी निर्माण कार्य किसी भी स्थिति में व्यक्तिगत भूमि में न किया जाय।

11. सामुदायिक/सार्वजनिक कार्य होने की स्थिति में कार्यस्थल की भूमि संबंधी अभिलेखों (जिससे यह प्रमाणित हो सके की उक्त निर्माण कार्य निजी भूमि पर नहीं किया जा रहा है) की जोय करना सुनिश्चित करें तथा अभिलेखों को ऑडिट के समय प्रस्तुत करने हेतु आवश्यक रूप से कार्यालय में सुरक्षित रखें।

12. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि इस पत्र द्वारा स्वीकृत कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/निधि द्वारा यह कार्य कराया गया है/ कराया जा रहा है। यदि कार्य पूर्व से किया गया है अथवा किया जा रहा है तो धनराशि वापस प्रेषित की जाय तथा योजना व्यक्तिगत लाभार्थी के लाभ हेतु प्रतीत होती है तो निर्माण कार्य सम्पादित न किया जाय।

13. विधायक निधि अन्तर्गत स्वीकृत कार्यों में किसी भी प्रकार का क्रय हेतु अधिप्राप्ति नियमावली का पूर्ण पालन करना सुनिश्चित किया जाना सोलर लाईट क्रय में गुणवत्ता/रख-रखाव इत्यादि उपरोक्त विभागानुसार किया जाएगा। उक्त योजनाओं में शासन द्वारा (CAG/AG) Audit कराने सम्पूर्ण जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी।

क्र0 सं0	पूर्व में प्रस्तावित कार्य का नाम	मा0 विधायक द्वारा संशोधित कार्य का नाम	विकास खण्ड	मानकृत योजना	वर्ष	स्वीकृत धनराशि लाख रु0	मा0 विधायक द्वारा नामित कार्यदायी संस्था
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ग्राम पनातरा सुयल में श्री मोहन सिंह के घर तक मार्ग निर्माण का कार्य	ग्राम पंचायत सुयल अन्तर्गत मोहन सिंह के घर से गैर तक सी0सी0 मार्ग निर्माण	कनालीछीना	सामान्य	2024-25	1.50	विकास खण्ड कनालीछीना
		कुल				1.50	

टिप्पणी- 1 अपशेष कार्यों की स्थिति में आगणन उपलब्ध कराते समय पूर्व के कार्यों की उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध करायें।
2 आगणन तकनीकी स्वीकृति उपरान्त ही उपलब्ध करायें।

ह0/-
(डॉ0 दीपक सेमवाल)
मुख्य विकास अधिकारी
पिथौरागढ़।

प्रतिलिपि- 1 मुख्य विकास अधिकारी महोदय पिथौरागढ़ को सूचनार्थ प्रेषित।

जिला विकास अधिकारी
पिथौरागढ़।